

# कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-प्रार/नियु प्रको/नियु-2/सैटअप/16

दिनांक : 30/6/16

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा – समस्त

विषय : काउन्सिलिंग हेतु विशेष दिशा—निर्देश।

संदर्भ : राजस्थान सरकार, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक: प.5(8)/प्राशि/2015 दिनांक 24 जून 2016 एवं शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड के निर्धारण एवं समानीकरण हेतु आदेश क्रमांक प.5(8)/प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016

उपर्युक्त विषय संदर्भ अन्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेशों के क्रम में दिनांक 01.07.2016 तक कार्मिकों के पदों के पुनर्निर्धारण पश्चात् अधिशेष कार्मिकों की सूची के प्रकाशन एवं संवर्गवार उपलब्ध रिक्तियों को तैयार कर इनका प्रकाशन जिले के कार्यालय पर तथा विभागीय वेबसाइट पर किया जाना है।

उक्तानुसार सूचियों के प्रकाशन के पश्चात् 08.07.2016 से 13.07.2016 तक जिले स्तर पर काउन्सिलिंग की कार्यवाही की जानी है। काउन्सिलिंग के संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.16 के अनुसार कार्यवाही की जानी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है—

1 काउन्सिलिंग का कार्य जिला स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जाना है—

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद् –अध्यक्ष
- जिला कलक्टर द्वारा नामित अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर का अधिकारी – सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), माध्यमिक शिक्षा –सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वितीय –सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (प्रथम) –सदस्य सचिव

2 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों के पदस्थापन के संबंध में शासन के सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के निर्देशों की पालना में सम्पादित किये जाने वाले कार्य के संबंध में निर्देशों की पालना के साथ निम्नानुसार कार्य निर्धारित दिनांक तक संपादित करें :

- 2.1 शासन के सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 3 की पालना के पश्चात् वरीयता क्रम के निर्धारण हेतु विशेष श्रेणी जिन्हे पदस्थापन हेतु वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जानी है, के कार्मिकों से आवश्यक प्रमाण पत्र दिनांक 04.07.16 तक प्राप्त कर/आमन्त्रित करना सुनिश्चित करें।
- 2.2 विशेष श्रेणी जिन्हे पदस्थापन हेतु वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जानी है, की वरीयता का निर्धारण मापदण्डानुसार कर पदस्थापन अन्तिम वरीयता सूची तैयार कर विभाग की वेबसाइट एवं कार्यालय परिसर में दिनांक 05.07.16 को प्रदर्शित करना।
- 2.3 सभी जिला शिक्षा अधिकारी लेवल द्वितीय की काउन्सिलिंग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दो दिवसों में निम्न क्रम से विषयवार आयोजित करें।

- 1 गणित /विज्ञान
- 2 अंग्रेजी
- 3 हिन्दी
- 4 सामाजिक विज्ञान

5 संस्कृत/अन्य द्वितीय भाषा (उर्दू/पंजाबी/गुजराती/सिंधी)

नोट : लेवल द्वितीय हेतु काउन्सिलिंग दो दिवसों में की जानी है, अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिकता के वर्ग को शामिल करते हुए अन्तिम वरीयता सूचियों के अनुसार दोनों दिवसों में समान संख्या में शिक्षकों को काउन्सिलिंग हेतु बुलावें व इसकी सूचना विभाग की वेबसाइट एवं कार्यालय में दिनांक 06.07.15 तक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

- 3 अधिशेष कार्मिकों की सूची निम्नानुसार समेकित कर वरीयता क्रम (वरीयता क्रम के निर्धारण के निर्देश आगे दिये जा रहे हैं) के आधार पर बनायी जानी है—
- 3.1 शाला दर्शन पोर्टल पर निर्धारित मानदण्ड अनुसार अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों की सूची पोर्टल पर डीईओ/बीईईओ लॉगिन पर उपलब्ध होगी।
- 3.2 माध्यमिक शिक्षा से 3B सूची के अनुसार आये शिक्षक जो कि प्रारम्भिक शिक्षा के ब्लॉक कार्यालय पर एपीओ है, की सूची जिलों को ब्लॉक एवं जिलेवार तैयार करनी है।
- 3.3 उक्त तीनों प्रकार के शिक्षकों की सूची समेकित रूप से ब्लॉक एवं जिलेवार बनायी जानी है।
- 3.4 प्रारम्भिक शिक्षा के वे विद्यालय जिनका नामांकन 15 तक होने से, किसी निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में समायोजन/मर्ज हुए हैं, उनकों अधिशेष शिक्षकों की सूची में पार्टल से डाला जावेगा।
- 3.5 उल्लेखनीय है कि ऐसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका एकीकरण (MERGE) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो चुका है उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन/पदस्थापन नहीं किया जाएगा।
- 3.6 शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन/समायोजन नहीं किया जायेगा तथा शून्य नामांकन एवं 0 से 15 नामांकन वाले मर्ज स्कूलों के शिक्षकों की अधिशेष सूची राज्य स्तर से ब्लॉक जिलेवार जारी की जा रही है।
- 3.7 अधिशेष शिक्षकों की सूची का प्रपत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, जो कि संशोधन उपरान्त निम्नानुसार है—

*[Signature]*

क्र.सं	अध्यापक / कार्मिक का नाम	अध्यापक/ कार्मिक की जन्म तिथि	अध्यापक / कार्मिक की आईडी	अध्यापक / कार्मिक का पद	ग्रेड	लेवल	विषय	चयन के समय प्रशीक्षिक योग्यता	विभाग में ज्वाइनिंग की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्तमान जिले में ज्वाइनिंग की तिथि	संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग की तिथि	विद्यालय से कार्यमुक्ति की तिथि	कार्यमुक्त विद्यालय का डाइस कोड	कार्यमुक्त विद्यालय का ब्लॉक					
11	12	13	14	15					

4 बिन्दु संख्या 3 के अनुसार अधिशेष शिक्षकों की सूची का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा—

- शिक्षकों की वरीयता का आधार उनकी जिले में ज्वाइनिंग तिथि का होगा।
- सूची में ऊपर से नीचे ज्वाइनिंग तिथि के क्रम में नाम होंगे अर्थात् पद एवं संवर्गवार सबसे पहले जिले के वरिष्ठतम् व्यक्ति का नाम होगा एवं सूची के सबसे अंत में संबंधित पद/विषय/संवर्ग के कनिष्ठतम् व्यक्ति का नाम होगा।
- अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों की सूची ब्लॉक एवं जिलेवार दोनों तरह से तैयार की जानी हैं।

5 अधिशेष शिक्षकों का पदस्थापन निम्नानुसार किया जाना है :-

- 5.1 अध्यापक लेवल 2 के गणित/विज्ञान एवं अंग्रेजी के अध्यापकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाये।
- 5.2 अध्यापक लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, हिन्दी एवं तृतीय भाषा के विषय अध्यापकों को उनके विषय के पदों के विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जावें।
- 5.3 सामाजिक विज्ञान/हिन्दी व तृतीय भाषा के विषय अध्यापक आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में अधिशेष रहे अध्यापकों को अध्यापक लेवल प्रथम के पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जावें।
- 5.4 लेवल द्वितीय के सामान्य विषय के अध्यापकों को अध्यापक लेवल प्रथम के अध्यापकों के पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जावें।
- 5.5 अध्यापक लेवल प्रथम के अध्यापक केवल अध्यापक लेवल प्रथम के स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही लगाये जावें।
- 5.6 संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को उनके स्वीकृत पद पर ही लगाया जावेंगा।
- 5.7 अधिशेष अध्यापकों/शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकतानुसार निम्न वरीयता क्रम में अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जावें—
  - (क) उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय
  - (ख) ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में मानदण्डानुसार रिक्त पद नहीं होने पर उसी पंचायत समिति में स्थित निकटस्थ ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय।
  - (ग) बिन्दु संख्या क व ख में स्थान रिक्त नहीं होने की स्थिति में निकटस्थ पंचायत समिति में स्थित विद्यालय।

6 शिक्षकों की वरीयता क्रम में विशेषवर्ग के कार्मिकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना है —

- 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
- विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
- महिला अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)
- शेष अभ्यर्थी (जिले में कार्यग्रहण तिथि के क्रम में)

नोट :-

6.1 असाध्य रोग से तात्पर्य केंसर एवं ब्रेन ट्र्यूमर से है।

6.2 विधवा महिला के मामले में कार्मिक से रु. 10 के सत्यापित शपथ पत्र पर पुनर्विवाह नहीं होने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक।

6.3 परित्यक्ता महिला के लिये नियमानुसार निर्धारित डिक्री की सत्यापित प्रति एवं पुनर्विवाह नहीं होने का प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

7 पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिकों/शिक्षकों का पदस्थापन/समायोजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जावेगा।

8 पातेय वेतन प्रधानाध्यापकों को उनके वर्तमान विद्यालयों में पद विरुद्ध लगाया जा रहा है एवं उन्हे अधिशेष नहीं किया जावेगा।

9 न्यायालय में प्रकरण लिखित होने के कारण शारीरिक शिक्षकों को न तो अधिशेष किया जायेगा और न ही उन्हे कही रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

10 पैराशारीरिक शिक्षकों को अधिशेष होने की स्थिति के बावजूद उनके वर्तमान विद्यालय में ही रखा जावें किन्तु माध्यमिक शिक्षा से आने वाले पैरा-शारीरिक शिक्षक को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.04.16 के अनुसार उनके स्वीकृत पद पर ही पदस्थापित किया जावें।

11 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश :-

- 11.1 काउंसलिंग जिला स्तर पर होगी किन्तु कार्मिक का पदस्थापन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.04.2016 के बिन्दु संख्या 10 में दिये गये निर्देशानुसार ही की जानी है।
- 11.2 काउंसलिंग हेतु स्थान/विद्यालय का चयन करते समय ध्यान रखा जावे कि स्थान/विद्यालय ऐसा हो जिसका परिसर में पर्याप्त स्थान, बिजली, पानी, हवा, बैठक व्यवस्था, छाया एवं वर्षा की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हों। बैठक व्यवस्था वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर की जावेगी।
- 11.3 काउंसलिंग स्थल पर उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी यथा माइक व्यवस्था, फर्नीचर, दरियां, प्रोजेक्टर, विडियो ग्रॉफी, स्टेशनरी सुनिश्चित की जावें।
- 11.4 काउंसलिंग स्थल पर काउंसलिंग हेतु पर्याप्त संख्या में यथासंभव अनुभवी कार्मिकों को व कम्प्यूटर में दक्ष कार्मिकों को मय कम्प्यूटर नियुक्त किया जावें।
- 11.5 काउंसलिंग से पूर्व एक प्री-काउंसलिंग बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावें, जिसमें समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित अधिकारी/कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये जावें।
- 11.6 सभी जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिंग के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित कर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 11.7 सभी जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिंग संबंधित सम्पूर्ण जानकारियों से जिला कलक्टर को समय-समय पर अवगत करवाते रहें।
- 11.8 प्रारम्भिक शिक्षा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिंग के कार्य हेतु आवश्यकता होने पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा से कार्मिकों/सहायक कर्मचारियों की प्रति-नियुक्ति करवाकर व्यवस्था करें एवं आवश्यक संसाधनों का सहयोग लें।
- 11.9 काउंसलिंग प्रारम्भ होने से डेढ़ घण्टा पूर्व (प्रातः 8.30–10.00) रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करें। प्रातः 10 बजे पश्चात् (विलम्ब से) आने पर कार्मिकों को वरीयता का लाभ देय नहीं होगा एवं उनकी काउंसलिंग अंत में की जाएगी। काउंसलिंग 10 बजे से 5 बजे तक होगी जितने कार्मिक काउंसलिंग के लिये रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय तक पहुँच जाते हैं उन सभी कार्मिकों के रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के पश्चात ही काउंसलिंग प्रारम्भ की जावें। रजिस्ट्रेशन पश्चात समस्त पंजीकृत कार्मिकों को वरीयतानुसार टोकन नम्बर जारी किये जावें तो टोकन के क्रम में बैठक की व्यवस्था कर उन्हे वरीयतानुसार काउंसलिंग के लिये बुलाया जावें।
- 11.10 काउंसलिंग के लिए आमंत्रित शिक्षकों को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश, रजिस्ट्रेशन एवं काउंसलिंग हॉल में प्रवेश के लिये पहचान हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा अधिसूचित निर्धारित पहचान पत्रों से एक का होना आवश्यक है। जितने शिक्षा अधिकारी कार्मिक की पहचान के प्रमाणित होने के पश्चात ही काउंसलिंग हेतु कार्मिक को अनुमति प्रदान करें।
- 11.11 काउंसलिंग के दिवस में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक हेल्प लाइन सेन्टर (जो काउंसलिंग स्थल से थोड़ी दूरी पर (जिससे काउंसलिंग प्रभावित न हो) की स्थापना की जावें।
- 11.12 काउंसलिंग में भाग लेने वाले शिक्षकों से रिक्तस्थान पर पदस्थापन हेतु सहमति पत्र का प्रारूप आपको भिजवाया जा रहा है।
12. काउंसलिंग के कार्यक्रम का विवरण :-

दिनांक	विवरण
08.07.2016	प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, एवं समस्त संविदा कर्मी
09 व 10.07.2016	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रार. शिक्षा विभाग में प्राप्त शारीरिक शिक्षक
11 व 12.07.2016	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय (विषयवार)
13.07.2016	काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे समस्त शिक्षक/संविदा कर्मी
15.07.2016	काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने पर पदस्थापन/समायोजन के आदेश जारी करना

कृपया उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादन किया जाना सुनिश्चित करावें।

  
 (जगदीश चन्द्र पुराहित)  
 निदेशक  
 प्रार. शिक्षा राज. बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-प्रार/नियु-प्रको/नियु-2/सैटअप/16  
 प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
- अति. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
- समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा।
- समस्त अतिरिक्त जिप.स., सर्व शिक्षा अभियान को भेजकर लेख है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
- समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक
- रक्षित पत्रावली।

दिनांक :

29/6/2016

  
 (जगदीश चन्द्र पुराहित)  
 निदेशक